दीनदयाल उपाध्याय
गोरखपुर विश्वविद्यालय
गोरखपुर–273009

Deen Dayal Upadhyaya
Gorakhpur University,
Gorakhpur-273009

(Accredited A++ by NAAC)

पत्रांक : सम्बद्धता/2025/04/ 6609

दिनांक : 21 /04/2025.

अति महत्वपूर्ण/समयवद्ध

सेवा में,

प्राचार्य/प्रबन्धक
समस्त, सम्बद्ध, संबंधित महाविद्यालय
सम्बद्ध– दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर।

विषय– शैक्षिक सत्र 2025–26 हेतु सम्बद्धता की निरन्तरता हेतु आख्या एवं अभिलेख प्रस्तुत करने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

कृपया, उपर्युक्त विषयक के संबंध में अवगत कराना है कि पूर्व शैक्षिक सत्रों में सम्बद्ध महाविद्यालयों में संचालित समस्त विषयों/पाठ्यक्रमों जिनकी स्थाई सम्बद्धता कमियां विद्यमान होने के कारण प्राप्त नहीं है उन महाविद्यालयों से संबंधित विषयों की **शैक्षिक सत्र 2025–26 हेतु सम्बद्धता की निरन्तरता** बनाये रखने के लिए निम्न पत्रजात प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

सत्र 2025–26 हेतु भी निम्न पत्रजात के साथ वित्त समिति की बैठक दिनांक 29.01.2024 एवं मा0 कार्य परिषद की बैठक दिनांक 01.02.2024 के क्रम में प्रत्येक पाठ्यक्रम के सम्बद्धता विस्तरण हेतु निर्धारित शुल्क रु0 10000/– एवं 18 प्रतिशत जीएसटी के साथ विश्वविद्यालय क लेखा अनुभाग में जमा करने का कष्ट करें।

पत्रजात/अभिलेख प्रस्तुत किये जाने की सूची–

क्रमांक	विवरण	अभिलेख की स्थिति
1	महाविद्यालाय को संचालित करने वाली समिति/ट्रस्ट का नवीनीकरण प्रमाण पत्र	
2	महाविद्यालय प्रबन्ध–समिति का अनुमोदन पत्र	
3	खतौनी	
4	नजरी नक्शा	
5	ग्रामीण अथवा नगरीय क्षेत्र में स्थित होने का प्रमाण पत्र	
6	शिक्षक अनुमोदन पत्र	
7	अनुमोदित शिक्षकों का संविदा पत्र	
8	प्राचार्य/शिक्षकों को किये जा रहे वेतन भुगतान का बैंक स्टेटमेन्ट/पासबुक की छायाप्रति	
9	सी0ए0 रिपोर्ट	
10	महाविद्यालय/समिति के खाते का अद्यतन बैंक स्टेटमेन्ट	
11	एन0बी0सी0 प्रमाण पत्र	
12	अद्यतन अग्निशमन प्रमाण पत्र	
13	प्रस्तुत पत्रजात के सत्यता के संबंध में रुपये 10/– के स्टाम्प पर शपथपत्र	

अतः मा0 कुलपति जी के अदेशानुसार आपसे अपेक्षा की जाती है कि **शैक्षिक सत्र 2025–26 हेतु** सम्बद्धता की निरन्तरता बनाये रखने के प्रकरण पर नियमानुसार विचार करने हेतु, **बिन्दुवार अभिलेख/पत्रजात (आख्या सहित) दिनांक 05 मई 2025 तक प्रस्तुत करने का कष्ट करें। यदि निर्धारित तिथि तक महाविद्यालय द्वारा अभिलेख/पत्रजात (आख्या सहित) प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो आपके महाविद्यालय में संचालित विषयों/पाठ्यक्रमों के सम्बद्धता विस्तरण नहीं प्रदान करने के संबंध में नियमानुसार उचित निर्णय विश्वविद्यालय द्वारा ले लिया जायेगा तथा महाविद्यालय में संबंधित विषयों/पाठ्यक्रमों में बिना सम्बद्धता प्राप्त किये छात्रों का प्रवेश लिया जाता है तो उन प्रवेशित छात्रों का परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा नहीं कराया जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी।**

भवदीय,

21/4/25

कुलसचिव

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समन्वयक, आई0टी0सी0 सेल को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं समस्त महाविद्यालयों की लॉगइन में प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
2. वित्त अधिकारी को इस आशय से सूचित कि संबंधित महाविद्यालयों से प्रत्येक पाठ्यक्रम का शुल्क रु0 10000/– एवं नियमानुसार जीएसटी के साथ जमा कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. परीक्षा नियन्त्रक, दी0द0उ0 गो0वि0वि0, गोरखपुर।
4. प्रभारी सचिव कुलपति कार्यालय, मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
5. वैय0 सहायक कुलसचिव।

कुलसचिव

—